न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **श्री आर.के.मिश्रा,** सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग/2107/दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 29-06-13 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील रघुराजनगर जिला सतना प्रकरण क्रमांक 65/अ-12/2012-13.

----

1. श्यामबिहारी गुप्ता पिता स्व. सुन्दरलाल गुप्ता उम्र 38 वर्ष पेशा व्यवसाय
   निवासी धवारी गली न.2 सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0 प्र0
2. दिलीप कुमार पाण्डेय पिता श्री सुशील पाण्डेय उम्र 28 वर्ष पेशा व्यवसाय
3. निवासी धवारी गली न.2 सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0 प्र0

...............निगराकारगण

बनाम

1. रामखेलावन पाण्डेय पिता श्री बंशीधर पाण्डेय उम्र 55 वर्ष पेशा कृषि
   निवासी धवारी गली न.2 सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0 प्र0

..................प्रत्यर्थीगण

श्री अमिताभ चतुर्वेदी अभिभाषक, निगराकरगण

श्रीमती प्रवेश मिश्रा, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/7/18 को पारित)

1/ आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील रघुराजनगर जिला सतना द्वारा पारित दिनांक 29-06-13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में निगरानीकर्ता का तथ्य यह है कि गैरनिगराकार के द्वारा तहसील रघुराजनगर जिला सतना की आराजी न. 334/23 रकवा 0.15 ए0 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुतकिया था और उक्त सीमांकन आवेदन पत्र में निगराकरगण एवं आस पास के रहने वाले व्यक्तियों के निस्तार की शासकीय आराजी को अपने पटटे की आराजी न. 334/23 रकवा 015 ए की बताकर

मनमानी तौर पर संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को मिलाकर बिना नक्शा तरमीम के एवं बिना पुस्तैनी सीमा चिन्हों का मिलान किये मौजा धवारी की रहायसीबस्ती में जहां पर कि किसीभी स्थिति में जरीब से नाप करना एवं वहां पर राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का कोई सीमा चिन्हघनी बस्ती होने के कारण न होने के बाद भी निगराकारगण की पुस्तैनी निस्तार पत्रक की शासकीय आराजी को आराजी न. 334/23 रकवा 0.15 ए की आराजी बताकर सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसकी जानकारी निगरानीकारगण को नहीं थी। जैसे ही गैर निगरानीकार उक्त सीमांकन प्रतिवेदन के अधार पर शासकीय आराजी को अर्थात अगल बगल के रहनेवालोंके निस्तार की आराजी को अपनी पटट्े की आराजी 334/23 बताकर निर्माण कार्यकरने की धमकी दी उसी समय निगराकारगण नजूल तहसीलदार सतना के न्यायालय में फर्जी पटटा के निरस्त करनेकादावास प्रथक से पेश किया गया जो आज भी विचाराधीन है। लेकिन मौके के विवाद को दृष्टिगतरखते हुए राजस्व प्रकरण क्र/65/अ-12/12-13 आदेश दिनांक 29-06-13 में प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन एवं पंचनामा तथा नक्शा को निरस्त करने हेतु यह निगरानी पेश की गयी है।

3/ तहसीलदार तहसील रघुराजनगर जिला सतना के आलौच्य प्रकरण क्रमांक क्र/65/अ-12/12-13 आदेश दिनांक 29-06-13 का भली भांति अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि प्रकरण में विधिवत काश्तकारों को सूचना दी गयी है यह स्पष्ट है। मौके पर सीमा चिन्हों के अनुसार सीमांकन कर फील्ड व्लॉक तैयार की गयी है, पंचनामा तैयार किया गया है जो नस्ती में संलग्न है इसके अतिरिक्त नक्शा तरतीमी की कार्यवाही भी की गयी है।

प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा कोई भी ऐसा तथ्य पेश नहीं किया गया जिसके आधार पर तहसीलदार तहसील रघुराजनगर जिला सतना के सीमांकन प्रकरण क्र 65/अ-12/12-13 आदेश दिनांक 29-06-13 को निरस्त किया जा सके। अतः निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

23/7/18

(आर.के.मिश्रा)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,

ग्वालियर